भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:3393

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तेलंगाना में चिकित्सा महाविद्यालयों का विकास

†3393. डॉ. कडियम काव्यः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना के ग्रामीण चिकित्सा महाविद्यालयों, जैसे काकातीय चिकित्सा महाविद्यालय और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय (जंगांव) में व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय और छात्रावास जैसी बुनियादी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट उन्नयन और विकास की योजना बनाई गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबद्ध अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी, नैदानिक उपकरणों और चिकित्सा शिक्षा और रोगी देखभाल में सहायता के लिए पर्याप्त कर्मचारियों से सुसज्जित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन संस्थानों में पर्याप्त संख्या में योग्य संकाय और चिकित्सा कर्मचारी हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए पेशेवरों को आकर्षित करने हेतु भर्ती अभियान या प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है;

(च) तेलंगाना में ग्रामीण चिकित्सा महाविद्यालयों की सुविधाओं और परिचालन क्षमता में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय या वित्तपोषण पहल की गई है और वारंगल स्थित संस्थानों के लिए कौन-सी विशिष्ट योजनाएँ या बजट आवंटित किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, नए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुरुआत, मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों में वृद्धि और मूल्यांकन और रेटिंग विनियम, 2023 के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश में कहा गया है

कि संबंधित चिकित्सा संस्थान के लिए नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) जारी करने से पहले आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और छात्रावासों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

इसी तरह, मेडिकल कॉलेजों में विभागवार संकाय आवश्यकताओं को स्नातक चिकित्सा शिक्षा - न्यूनतम मानक आवश्यकताएं (यूजी-एमएसआर), 2023 के तहत निर्धारित किया गया है। संकाय की अर्हताएं चिकित्सा संस्थान (संकाय की अर्हताएं) विनियम, 2025 द्वारा शासित होती है। मेडिकल कॉलेजों में संकाय की उपस्थिति की निगरानी एनएमसी द्वारा आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के माध्यम से की जाती है।

(ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और मानव संसाधनों की भर्ती की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर स्वीकृत संसाधन सीमा के भीतर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम के तहत मानव संसाधन (एचआर) की समस्या को दूर करने के लिए, देश में डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

• ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उनके आवासीय क्वार्टरों की व्यवस्था।
• ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सिजेरियन ऑपरेशन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
• डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जाँच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम को प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए प्रोत्साहन जैसे प्रोत्साहन।
• राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "यू कोट वी पे" जैसी रणनीतियों में छूट सहित बातचीत द्वारा तय वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है।
• एनएचएम के तहत दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में वरीयता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।
• विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल विकास को समर्थन दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख रणनीति है।

(च): नए पीजी विषयों को शुरू करने और पीजी सीटों में वृद्धि के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के दो चरणों के तहत, तेलंगाना के नौ (09) मेडिकल कॉलेजों में 324.55 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 511 पीजी सीटों की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। चरण- I के तहत इन 511 सीटों में से, काकतीय मेडिकल कॉलेज में 92 सीटें, वारंगल में 89 सीटें स्वीकृत की गई हैं, जिसकी अनुमोदित लागत 10.45 करोड़ है, जिसमें से 7.47 करोड़ रुपये का पूरा केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है; और चरण- II के तहत 3.59 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 3 सीटें, जिनमें से 2.15 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है।

इसके अलावा, राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) ने एनएचएम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 67.16 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी, और केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत तेलंगाना राज्य को 208.82 करोड़ रुपये जारी किए।

*****